

न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी सी. आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 22 / 2019 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

दीवान हाजसिंग फार्डनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय- वार्डन हाऊस, द्वितीय तल, सर पी. एम. रोड, फार्ड, मुम्बई-400001 तथा शाखा कार्यालय -302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम. आई. रोड, जयपुर, राजस्थान।
... प्रार्थी

बनाम

1. **विद्या भारती संस्थान**, निवासी आवासीय भूमि वार्ड नम्बर 20 (पुराना) 35(नया), सित्बर जुबली रोड, कलक्टर के बंगले के सामने, सीकर-332001 राजस्थान।

एवं

निवासी- विद्या भारती स्कूल, तोदी नगर (सिविल लाइन), सीकर-332001 राजस्थान।

एवं

निवासी- प्लेट नम्बर 304, तृतीय तल, रंगल रेजिडेन्सी, पट्टा नम्बर 304, काजियों का मोहल्ला, शेखपुरा रोड, सिविल लाइन रोड के पास, सीकर- 332001 राजस्थान।

एवं

निवासी प्लेट नम्बर एच-701, सातवां तल, ब्लॉक नम्बर एच, यूनिट हारमोनि, खसरा नम्बर 207, 208, 210, 211, 213, 215, 260, 262, 263, 261 / 1817, 334 / 1818, 1936 / 334, ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।

एवं

मकान का उल्लरी भाग, नया मौहल्ला कहारान, वार्ड नम्बर 05(नया), पुराना(20), सीकर-332001 राजस्थान।

एवं

प्लॉट नम्बर सी-117, तोदी नगर, आवासीय योजना, सीकर, राजस्थान- 332001।

...(ऋणी)

2. **बलवंत सिंह चिराना**, निवासी आवासीय भूमि वार्ड नम्बर 20 (पुराना) 35(नया), सित्बर जुबली रोड, कलक्टर के बंगले के सामने, सीकर-332001 राजस्थान।

एवं

विद्या भारती पब्लिक स्कूल, बाल विहार, सीकर, राजस्थान- 332001।

एवं

निवासी- प्लेट नम्बर 304, तृतीय तल, रंगल रेजिडेन्सी, पट्टा नम्बर 304, काजियों का मोहल्ला, शेखपुरा रोड, सिविल लाइन रोड के पास, सीकर- 332001 राजस्थान।

एवं



न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

निवासी फ्लेट नम्बर एच-701, सातवां तल, ब्लॉक नम्बर एच, यूनिक हारमोनि, खसरा नम्बर 207, 208, 210, 211, 213, 215, 260, 262, 263, 261/1817, 334/1818, 1936/334, ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।

एवं

मकान का उत्तरी भाग, नया मौहल्ला कहारान, वार्ड नम्बर 05(नया), पुराना(20), सीकर-332001 राजस्थान।

एवं

प्लॉट नम्बर सी-117, तोदी नगर, आवासीय योजना, सीकर, राजस्थान- 332001।

(सहऋणी)

3. धीरज कंवर, निवासी आवासीय भूमि वार्ड नम्बर 20 (पुराना) 35(नया), सिल्वर जुबली रोड, कलक्टर के बंगले के सामने, सीकर-332001 राजस्थान।

एवं

निवासी- विद्या भारती स्कूल, तोदी नगर (सिविल लाइन), सीकर-332001 राजस्थान।

एवं

निवासी- फ्लेट नम्बर 304, तृतीय तल, रॉयल रेजिडेन्सी, पट्टा नम्बर 304, काजियों का मौहल्ला, शेखपुरा रोड, सिविल लाइन रोड के पास, सीकर- 332001 राजस्थान।

एवं

निवासी फ्लेट नम्बर एच-701, सातवां तल, ब्लॉक नम्बर एच, यूनिक हारमोनि, खसरा नम्बर 207, 208, 210, 211, 213, 215, 260, 262, 263, 261/1817, 334/1818, 1936/334, ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।

एवं

मकान का उत्तरी भाग, नया मौहल्ला कहारान, वार्ड नम्बर 05(नया), पुराना(20), सीकर-332001 राजस्थान।

एवं

प्लॉट नम्बर सी-117, तोदी नगर, आवासीय योजना, सीकर, राजस्थान- 332001।

(सहऋणी)

4. सत्यवीर सिंह, निवासी- विद्या भारती स्कूल, तोदी नगर (सिविल लाइन), सीकर-332001।

एवं

निवासी- मकान का उत्तरी भाग, नया मौहल्ला, वार्ड नम्बर 05(नया), पुराना(20), सीकर-332001 राजस्थान।

एवं

निवासी- फ्लेट नम्बर 304, तृतीय तल, रॉयल रेजिडेन्सी, पट्टा नम्बर 304, काजियों का मौहल्ला, शेखपुरा रोड, सिविल लाइन रोड के पास, सीकर- 332001 राजस्थान।

एवं

मजिस्ट्रेट, सीकर

निवासी फ्लेट नम्बर एच-701, सातवां तल, ब्लॉक नम्बर एच, यूनिक हारमोनि, खसरा नम्बर 207, 208, 210, 211, 213, 215, 260, 262, 263, 261/1817, 334/1818, 1936/334, ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।

एवं

प्लॉट नम्बर सी-117, तोदी नगर, आवासीय योजना, सीकर, राजस्थान- 332001।

(सहऋणी)

5. पूजा चौहान, निवासी- विद्या भारती स्कूल, तोदी नगर (सिविल लाइन), सीकर-332001।

एवं

निवासी- मकान का उत्तरी भाग, नया मौहल्ला कहारान, वार्ड नम्बर 05(नया), पुराना(20), सीकर- 332001 राजस्थान।

एवं

निवासी- फ्लेट नम्बर 304, तृतीय तल, रॉयल रेजिडेन्सी, पट्टा नम्बर 304, काजियों का मौहल्ला, शेखपुरा रोड़, सिविल लाइन रोड़ के पास, सीकर- 332001 राजस्थान।

एवं

निवासी फ्लेट नम्बर एच-701, सातवां तल, ब्लॉक नम्बर एच, यूनिक हारमोनि, खसरा नम्बर 207, 208, 210, 211, 213, 215, 260, 262, 263, 261/1817, 334/1818, 1936/334, ग्राम महापुरा, तहसील सांगानेर, जयपुर, राजस्थान।

एवं

प्लॉट नम्बर सी-117, तोदी नगर, आवासीय योजना, सीकर, राजस्थान- 332001।

(सहऋणी)

...अप्रार्थीगण

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांक: 04-06-2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री विनय चोटिया द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण विद्या भारती संस्थान, बलवंत सिंह चिराना, धीरज कंवर, सत्यवीर सिंह, पूजा चौहान, को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में :-
(क) आवासीय भूमि वार्ड नम्बर 20(पुराना) 35(नया), सिल्वर जुबली रोड़, कलक्टर के बंगले के सामने, सीकर-332001 (राजस्थान)।



मजिस्ट्रेट, सीकर

(ख) मकान का उत्तरी भाग, नया मौहल्ला कहारान, वार्ड नम्बर 05(नया), पुराना(20), सीकर-332001 (राजस्थान)।

(ग) फ्लेट नम्बर 304, तृतीय तल, रॉयल रेजिडेन्सी, पट्टा नम्बर 304, काजियों का मौहल्ला, शेखपुरा रोड़, सिविल लाइन रोड़ के पास, सीकर- 332001 (राजस्थान)।

(घ) प्लॉट नम्बर सी-117, तोदी नगर, आवासीय योजना, सीकर, -332001 (राजस्थान)।

को बंधक रखकर 9,80,80,467/-रूपये (अक्षरे रूपये नौ करोड़ अस्सी लाख अस्सी हजार चार सौ सड़सठ मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.11.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शुक्ला ने आगामी तारीख पेशी पर वकातलनामा पेश करने का निवेदन किया गया।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 13.11.2018 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण विद्या भारती संस्थान, बलवंत सिंह चिराना, धीरज कंवर, सत्यवीर सिंह, पूजा चौहान, की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक :-
 - (क) आवासीय भूमि वार्ड नम्बर 20(पुराना) 35(नया), सिल्वर जुबली रोड़, कलक्टर के बंगले के सामने, सीकर-332001 (राजस्थान)।
 - (ख) मकान का उत्तरी भाग, नया मौहल्ला कहारान, वार्ड नम्बर 05(नया), पुराना(20), सीकर-332001 (राजस्थान)।
 - (ग) फ्लेट नम्बर 304, तृतीय तल, रॉयल रेजिडेन्सी, पट्टा नम्बर 304, काजियों का मौहल्ला, शेखपुरा रोड़, सिविल लाइन रोड़ के पास, सीकर- 332001 (राजस्थान)।
 - (घ) प्लॉट नम्बर सी-117, तोदी नगर, आवासीय योजना, सीकर, -332001 (राजस्थान)।




मजिस्ट्रेट, सीकर



का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर, प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक: 04-06-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सी. आर. मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर